

उत्तर प्रदेश शासन
कार्गिक अनुभाग-4

संख्या-1-ई.आर./79-का-4-2001

लखनऊ : दिनांक: मार्च-27, 2001

0
उत्तर प्रदेश शासन के
मुख्य कार्यालय लखनऊ
28/4/2001

अधिसूचना संख्या-1-ई.आर./79-का-4-2001, दिनांक 27 मार्च, 2001 के साथ प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सेवा स्तरों को मान्यता प्रथम संशोधन नियमावली, 2001 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 11। तत्काल प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 12। तत्काल विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 13। तत्काल मंडलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 14। सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
- 15। सचिवालय के तत्काल अनुभाग।
- 16। निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रेशवाग, लखनऊ को दो प्रतियों के साथ इस अनुरोध के साथ कि उक्त नियमावली को आधारभूत गजट में प्रकाशित कराकर, मुख पत्र सहित नियमावली की 5,000 प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

शासन शासन की
पत्रावली में रखे।
14/5/01

आज्ञा से
डी० के० वर्मा
विशेष सचिव।
28/3/2001